राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मनोज कुमार / इन्द्रावती

तारीख हुक्म	32/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/8/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थन पत्र बाबत नाम हज़फ़ किये जाने का पेश किया। जिसकी नकल अधिवक्ता रेस्पो. को दिलवाई गयी एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस उक्त प्रार्थना पत्र समायत की गयी। उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पो. संख्या 5 बद्री पुत्र प्रहलाद का नाम हज़फ़ किये जाने के आदेश दिए जाते है। तत्तपश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22/02/2021 की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर प्रार्थना पत्र स्थगन पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया जिस पर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 22/02/2021 का अवलोकन किया एवं माननीय मण्डल के आदेश के अनुपालना में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस समायत की गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा जाहिर किये गये तथ्यों के परिपेक्ष में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि प्रकरण पक्षकारान के मध्य तकासमें का है, जिसमे किसी सहखातेदार काश्तकार का सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसके खाते की आराजीयात के उपयोग-उपभोग से प्रतिबन्धित कर दिया जाना तत्तपश्चात उपस्थित पक्षकार की सुनवाई नही कर एकपक्षीय आदेश को यथावत कायम रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दौनो पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाना अभी शेष है एवं इस न्यायालय के समक्ष अब चूँकि दोनों पक्ष उपस्थित आ गये है अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष उपस्थित पक्षकारान के दिनांक 03/09/2021 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विधिसम्मत निस्तारण करे। तब तक न्यायहित में आदेश जैर अपील दिनांक 21/01/2021 की क्रियान्विति स्थगित रखी जाती है। उभयपक्षों को जरिये अधिवक्ता यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03/09/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 05/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 5/8/21 राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)